रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215412
CG-DL-E-15012020-215412

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
No. 136] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2020

का.आ. 146(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी की गई भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4334 (अ), तारीख 2 दिसंबर 2019 जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353 के कि. मी. 0.00 सें कि. मी. 43/00 (अमरावती नांदगावपेठ मोर्शी) तक के भूखण्ड में निर्माण (चौडा, चार/दो लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण,प्रबंधन और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजना के लिए वह अधिसूचना से उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 5 क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13/12/2019 और 14/12/2019" को " दैनिक मतदार अमरावती" और "दैनिक प्रतिदिन अमरावती" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 5घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार,उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण मे यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर,उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों सें मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग अमरावती नांदगाव पेठ मोर्शी संख्या ३५३ के कि.मी. 0.00 सें 43.00 कि. मी. के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अमरावती			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मोर्शी				
	गांव का नाम: मोर्शी				
1	57	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	अरुणकुमार मेघराजजी जैस्वाल , लता अरुणकुमार जैस्वाल (५७)
2	58/2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.2	अरुणकुमार मेघराजजी जैस्वाल, लता अरुणकुमार जैस्वाल (५८/२)
			कुल	0.2100	

[फा. सं. RW/NH-12014/74/2016/MAH-P6/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2020

S.O. 146(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 4334(E), Dated 02 December 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub section (ii) issued under sub-section (I) of section 3A of the National Highway Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/four/two laning with paved shoulder,etc), maintenance, management or operation of National Highway No. 353 k on the stretch of land from km. 0/00 to 43/00 (Amravati-Nandgaon Peth-Morshi) in the district of Amravati in the state of Maharashtra, hereby declare its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Matadar Amravati " and "Dainik Pratidin Amravati" both dated 13/12/2019 and 14/12/2019 under sub section (3) of the section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the **C**ompetent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land for widening/Four/two Laning etc. from Amravati-Nandgaon Peth-Morshi Section I (km. 0/00 to 43/00) of NH 353K in District Amravati in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		**District: AMRAVATI**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Morshi				
	Viilage: Morshi				
1	57	Private	Agriculture	0.01	Arunkumar Meghrajaji Jaiswal ,Lata Arunkumar Jaiswal 57
2	58/2	Private	Non Agriculture	0.2	Arunkumar Meghrajaji Jaiswal, Lata Arunkumar Jaiswal 58/2
			TOTAL	**0.2100**	

[F. No. RW/NH-12014/74/2016/MAH-P6/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.15 19:51:10 +05'30'